

पत्रक
(नियम 13)

{General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', Form No. 9}

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़

पीतासीन अधिकारी - इन्द्राज सिंह आर.पु.एस. नवलगढ़

महेन्द्र सिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपूत निवासी देवीपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनु।	-वनाग-	दीलत सिंह पुत्र श्री मूल सिंह जाति राजपूत निवासी देवीपुरा तन घिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनु।
किस्म मुकदमा - दावा वाबत घोषणार्थ एवं स्थाई व्यादेश।		मु.नं. 136.../2020 RCMS No

आदेश	कार्यवाही विवरण	पालना के क्रमांक व दिनांक
------	-----------------	---------------------------

21.8.2020	आज यह दावा वादी की ओर से वकील श्री अमर सिंह शेखावत द्वारा पेश किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर हो। तलबी प्रतिवादीगण जारी होकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 17.09.2020 को पेश हो। (इन्द्राज सिंह) उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़	1847 24/8/20
-----------	--	-----------------

25/8/20 पत्रावली आदिना पत्रा विवरण तहसील ज पेश
होने काज पेशी कर लक्षण की गई। वादी
अतः वकील वादी द्वारा उक्त आदिना पत्रा पेश
किया कि प्रकरण में पक्षकारान के अर्थ
राजिनामा हो गया है। वादी प्रकरण में कोई
अर्जावादी नहीं चाहता है। वाद-पत्रा को खारिज
करवाना चाहता है। आदिना पत्रा का अवलोकन
किया गया। आदिना पत्रा रवीकान उक्त प्रकरण की
अर्थ पर खारिज किया जाना है। पत्रावली केवल
मुद्दा होकर ही लक्ष्य हो रहा है। तमा
वाद लक्ष्य जात्रा दाविल दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़